**आदेश 38 नियम 5 CPC के अन्तर्गत निर्णय से पूर्व कुर्क किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order 38 Rule 5 of the CPC for attachment before judgment)**

न्यायालय ............

1. A. No. ............ सन् ..........

वाद नंबर ............ सन् ......

अ०ब०स० ............. वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी,

वादी/प्रार्थी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त वाद प्रतिवादी से किराये की बकाया वसूली अंकन रु० ...... के लिए दायर किया गया है।
2. यह कि प्रार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त वाद में वादकालीन किाये अंकन रु० ............ मासिक की, माँग वाद के सुने जाने तक और अंतिम रूप से निर्णीत होने तक की गई है।
3. यह कि कुल डिक्री योग्य धन राशि, हर्जा खर्चा आदि जोड़ कर अंकन रु० ........ कहीं अधिक होगी।
4. यह कि प्रतिवादी द्वारा अपनी चल सम्पत्ति का कुछ भाग विक्रय किया जाने वाला हा बाकी सम्पत्ति को मान्य न्यायालय के कार्य क्षेत्र से कहीं बाहर ले जाने वाला है।
5. यह कि जब तक अवशेष चल सम्पत्ति को कर्क नहीं किया जायेगा तो डिक्री का धन को प्रतिवादी से वसूल करने के लिए, कुछ भी शेष नहीं बचेगा।
6. यह कि न्याय हित में यह अपेक्षित है कि प्रतिवादी की निम्नांकित चल सम्पत्ति किया जाये । (सम्पत्ति का विवरण दे)
7. यह कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थना-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र दाखिल किया जा रहा है।

इसलिए सविनय निवेदन है प्रतिवादी को या तो अंकन रु० ............ की प्रतिभूति के आदेश दिये जायें अथवा निर्णय से पूर्व निम्नांकित सम्पत्तियों को कुर्क करने का कष्ट करे जिसके लिए याची सदैव आभारी रहेगा।

**स्थान ............ दिनांक . (प्रार्थी) ............**

**नोट** - शपथपत्र संलग्न करें

|  |  |
| --- | --- |
| **क्र० सं०** | **चल सम्पत्तियों की सूची + चल सम्पत्ति का नाम व मूल** |
| 1.  2.  3.  4. |  |

**(प्रार्थी) ……**

**सत्यापन**

1. ABC, उपरोक्त वादी यह घोषणा करता है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र के तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य और सही हैं।

**सत्यापित - दिनांक ............ दिन ........... स्थान ............ (वादी)**

**नोट**:

1. प्रार्थना-पत्र, शपथपत्र से पुष्ठित होना चाहिए।

2. यदि न्यायालय द्वारा वादी को निर्देश दिया जाये तो सम्बद्ध की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण दिया जाये।

3. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को निर्देशित किया जा सकता है कि निश्चित अवधि के भीतरया तो निश्चित की गई धन राशि की प्रतिभूति जमा करे अथवा न्यायालय के निस्तारण हेतु ऐसे स्थान पर रखे या पेश करे जो निश्चित किया गया हो ताकि जब आवश्यक हो तो उस सम्पत्ति अथवा उसको कीमत अथवा उसका कोई ऐसा भाग जो डिक्री को संतुष्ट करने में पर्याप्त हो और जिससे स्पष्ट हो सके कि उससे क्यों न प्रतिभूति जमा कराई जाये।